प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

आज़ादी का अमृत महोत्सव

26 नवंबर 2021

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के रूप में परिवर्तित होने पर शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया जाना

जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आरबीआई के दिनांक 27 सितंबर 2018 के परिपत्र सं. डीसीबीआर.सीओ.एलएस.पीसीबी.परि.सं.5/07.01.000/2018-19 के माध्यम से आरंभ की गयी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) से लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में स्वैच्छिक परिवर्तन संबंधी योजना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लघु वित्त बैंक के रूप में परिवर्तित होने पर लाइसेंस रद्द कर दिया है। तदनुसार, अब यह बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (सीसीआई) में परिभाषित "सहकारी बैंक" नहीं रह गया है और उक्त सहकारी बैंक पर लागू उक्त अधिनियम के सभी प्रावधान अब उस पर लागू नहीं हैं। परिवर्तित होने पर, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिनांक 01 जनवरी 2021 को लाइसेंस प्रदान किया गया है।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1259